प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य जीएसटी रियायत प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामान्य जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस विषय-वस्तु को समय-समय पर जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों/कार्यालय आदेशों के संदर्भ में ही पढ़ा जाना चाहिए। यह विषय-वस्तु विशिष्ट/असाधारण मामलों पर लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं है और इसके तहत ऐसा कोई दावा नहीं किया जा सकता। यदि कभी मूल कार्यालय ज्ञापन/कार्यालय आदेश की तुलना में यहां दिए गए तथ्यों के अर्थ और/या विषय-वस्तु की व्याख्या में कोई अंतर उत्पन्न हो, तो उत्तरवर्ती को अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा।

1. इस लाभ के लिए कौन पात्र हैं?

40% और उससे अधिक की अस्थिजनित स्थायी दिव्यांगता वाला कोई भी व्यक्ति, वित्त मंत्रालय की दिनांक 30 सितंबर 2019 की अधिसूचना संख्या 14/2019 - एकीकृत कर दर, समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकता है।

2. इस योजना के तहत किस प्रकार के वाहन खरीदे जा सकते हैं?

वित्त मंत्रालय की 30 सितंबर 2019 की अधिसूचना के अनुपालन में, इस योजना के तहत वैसी कारें (स्वचालित या मैनुअल) खरीदी जा सकती हैं जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम या उसके बराबर हो और इंजन क्षमता 1200 सीसी (पेट्रोल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) या 1500 सीसी (डीजल) से अधिक न हो।

3. इस जीएसटी प्रमाणपत्र के आधार पर कितनी और किस प्रकार की रियायतें प्राप्त की जा सकती हैं?

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 14/2019-एकीकृत कर दर दिनांक 30 सितंबर 2019 और अधिसूचना संख्या 1/2017-मुआवजा उप-कर (दर) दिनांक 28 जून

2017 के अनुसार, इस प्रमाणपत्र के माध्यम से जीएसटी पर 10% की छूट प्राप्त की जा सकती है और कोई उपकर नहीं देना होगा। यह प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कार की खरीद पर 18% वस्तु और सेवा कर(जीएसटी) के अलावा कोई उप-कर नहीं देना होगा जबकि अन्यथा 28% जीएसटी और लागू उप-कर देना होता है।

4. आवेदन कब और कैसे करें?

आवेदक को वाहन खरीदने से पहले ही लाभ के लिए आवेदन करना होगा। वाहन खरीदने के बाद जीएसटी वापसी संभव नहीं होगी।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को यूआरएल https://dhigecs.heavyindustry.gov.in पर जाना होगा जहां आवेदन भरने के लिए प्रयोक्ता मैनुअल की मदद ली जा सकती है। आवेदन भरने और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद, सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आवेदन विभाग को प्राप्त हो जाएगा।

5. आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवेदन भरते समय आधार, पैन, यूडीआईडी (यदि उपलब्ध हो)/विकलांगता प्रमाणपत्र और स्व-घोषणा (पठनीय दस्तावेज) की प्रति पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

6. क्या लाभ उठाने के लिए आवेदक को किसी विशेष प्रारूप में नया चिकित्सा प्रमाणपत्र लेना होगा?

जिस व्यक्ति के पास विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (यूडीआईडी) (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी) या दिव्यांगता प्रमाण पत्र (केंद्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया जिसमें उसके नाम और पंजीकरण संख्या का उल्लेख हो तथा जारी करने वाले प्राधिकारी

की मुहर लगी हो), उसे किसी अन्य चिकित्सा प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।

किंतु, यदि व्यक्ति के पास उपर्युक्त में से कोई भी चिकित्सा प्रमाणपत्र न हो, तो उसे अनुलग्नक 'ख' की अपेक्षानुसार विधिवत रूप से भरकर चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसपर क्रमशः अस्थिरोग विशेषज्ञ और सिविल सर्जन रैंक के अधिकारियों के नाम और पंजीकरण संख्या सहित मुहर लगी हो और उनके हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर हों।

7. प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

हर तरह से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है।

8. क्या इस प्रकार जारी किए गए प्रमाणपत्र की कोई वैधता अवधि है?
प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के लिए वैध होता है।

9. यदि कोई कार डीलर या आरटीओ भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी जीएसटी प्रमाणपत्र को न माने, तो इसकी शिकायत कहां करें?

ऐसी स्थिति में, यह मामला फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएडीए) तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ध्यान में लाया जाए।

*10. अगर बिना खरीद किए ही प्रमाणपत्र की वैधता खत्म हो जाती है तो क्या करें?

कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार जीएसटी रियायत प्रमाणपत्र की वैधता को बढ़ा रही है। यह विस्तार सीमित अवधि के लिए दिया गया है और सरकार द्वारा किसी भी समय इसे रद्द किया जा सकता है। जारी जीएसटी रियायत प्रमाणपत्र की वैधता अवधि में विस्तार की मांग के लिए, मौजूदा प्रमाणपत्र की समाप्ति के बाद निम्नलिखित दस्तावेज भेजें/ईमेल करें (एकल पीडीएफ फाइल बनाकर) -

1. वैधता अवधि में विस्तार के लिए आवेदन के साथ-साथ इस बात का विस्तृत विवरण कि जीएसटी रियायत प्रमाणपत्र का उपयोग क्यों नहीं किया जा सका (आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सादे कागज पर)।
2. जीएसटी रियायत प्रमाणपत्र की प्रति।
3. डीलर का पत्र जिससे पुष्टि होती हो कि वह वाहन की सुपुर्दगी नहीं कर पाएगा।

11. क्या कोई जीएसटी रियायत प्रमाणपत्र में बदलाव के लिए अनुरोध कर सकता है?

जीएसटी रियायत प्रमाणपत्र में परिवर्तन के लिए अनुरोध केवल दो परिस्थितियों में किया जा सकता है:-

(क) डीलरशिप बंद होना

(ख) मॉडल/वेरिएंट का बंद होना

अन्य किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आवेदन प्रस्तुत करने के दौरान आवेदक ने डीलर/आरटीओ का गलत विवरण दर्ज किया गया हो, तो परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

जीएसटी रियायत प्रमाणपत्र में परिवर्तन की मांग के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों को भेजने / ईमेल करने की आवश्यकता है (एकल पीडीएफ फाइल के रूप में): -

1. मॉडल/डीलर में परिवर्तन के लिए आवेदन के साथ-साथ इस बात का विवरण कि बदलाव चाहने का कारण क्या है (आवेदक द्वारा सादे कागज पर विधिवत हस्ताक्षरित)।
2. जीएसटी रियायत प्रमाणपत्र की प्रति।
3. वाहन की सुपुर्दगी न करने की पुष्टि करने वाला डीलर का पत्र, जिसमें वैध कारण दिया गया हो।
4. नए डीलर (नाम, पता, ई-मेल आईडी)/मॉडल (लंबाई और इंजन क्षमता दिशानिर्देश में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए) का विवरण।

नोट: यह व्यवस्थाजनित प्रमाणपत्र है। प्रमाणपत्र एक बार जारी होने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए कृपया आवेदन प्रस्तुत करते समय सभी प्रविष्टियों को ध्यान से भरें।

डीलर और आरटीओ के विवरण सहित सही जानकारी प्रदान करना आवेदक की जिम्मेदारी है।

****